5581
संख्याः ~ /I/2005-04(1)/29/05

प्रेषक,

डा0 एम0सी0 जोशी,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
उत्तरांचल जल विद्युत निगम लि0
देहरादून।

ऊर्जा विभाग,

देहरादूनः दिनांकः 28, नवम्बर, 2005

विषयः– वित्तीय वर्ष 2005–06 में मनेरी भाली–।। परियोजना के निर्माण हेतु उत्तरांचल जल विद्युत निगम लि0 को अंशपूंजी में विनियोजन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्याः 5312/I/2005-04(1)/29 /05 दिनांक 07.11.2005 द्वारा वित्तीय वर्ष 2005–06 में मनेरी भाली द्वितीय चरण के निर्माण हेतु उत्तरांचल जल विद्युत निगम लि0 को अंशपूंजी के रुप में रु0 30.00 करोड़ (रु0 तीस करोड़ मात्र) की धनराशि स्वीकृत की गई थी। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के प्रतिबन्ध संख्या 1 को संशोधित करते हुए उसके स्थान पर निम्नानुसार पढ़ा जायः–

"उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण उत्तरांचल जल विद्युत निगम के निदेशक, वित्त द्वारा तैयार बिलों पर प्रतिहस्ताक्षरित करने के लिये जिलाधिकारी, देहरादून को प्राधिकृत किया जाता है"।

उक्त शासनादेश में वर्णित शेष शर्तें पूर्ववत् रहेंगी। अतः उक्त शासनादेश को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 76/XXVII(2)/2005, दिनांक 25 नवम्बर, 2005 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डॉ0 एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव

5581
संख्याः ^ /I/2005-04(1)/29/05, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल।
2– जिलाधिकारी, देहरादून।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4– प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री को मा0 मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में लाने हेतु ।
5– निजी सचिव, ऊर्जा राज्य मंत्री को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
6– श्री एल0एम0 पंत, अपर सचिव, वित्त, बजट अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
7– नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन।
8– वित्त अनुभाग–2, उत्तरांचल शासन।
9– प्रभारी, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
10– ऊर्जा सैल, उत्तरांचल शासन।
11– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डॉ0 एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव

D:\Documents and Settings_Rajeev_Upvel_Budget.doc